FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [stamp] ....मुकाम......................

......................उदाराम......................बनाम......................भूराराम वगैरा......................

किस्म मुकदमा......................रास्ता [illegible]......................नं. 205/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/6/2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 LR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17.7.2019 को पेश हो। [initials]	
17/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो। [initials]	
16/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेन सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी मेड व डोली [illegible] आये हुए है से जो आंधियों की वजह से बिखर	

Scanned by CamScanner

गये हैं जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों का माप सही रूप से नहीं हो सकता है। तथा खेतों पर कोई कच्ची पक्की मेड बनी हुई नहीं होने के कारण विपक्षीगण प्रार्थी के खेत के मेड़ों को तोड़कर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रार्थी को विपक्षीगण आये दिन धमकियां देते रहते हैं कि यह खेत हमारा है और हम पर हमारा ही कब्जा रहेगा। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेतों का मेड हमेशा तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी खेत की सिमाओं का माप करवाकर पक्के नीशान स्थापित करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुनारबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर मुनारबन्दी आदेश दिया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मुनारबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसील बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि स्वयं स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मुनारबन्दी मौके पर कमिश्नर रूबरू उपस्थित होकर करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश मुनारबन्दी अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार (...)

(signature)
...2018
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 718

दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

उदाराम पुत्र टिकमाराम जाति जाट
निवासी भादासर, अकदड़ा
तहसील बायतु जिला बाडमेर

भुराराम पुत्र खेमाराम जाति जाट वगैरा 13
निवासी भादासर, अकदड़ा
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 205 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा भादासर पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 535, 563, 850 रकबा कमश 01, 09.13, 59.10 बीघा कुल रकबा 70.03 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111 , 128 भू0, रा0, अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 719-23

दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री उदाराम पुत्र टिकमाराम
4. विप्रार्थीगण भुराराम पुत्र खेमाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:08:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: